

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/370


दिनांक : 27.8.2019

### आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 236, 239 एवं 275 की अनुपालना में सीकर जिले में खोले गये 02 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रत्येक महाविद्यालय में कला संकाय में 02 वर्गों की एवं उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित नवीन विषय खोले जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

क्र.स.	नवीन राजकीय महाविद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1.	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र ( एस.एफ.एस. के तहत )
2	राजकीय महाविद्यालय, पाटन जिला सीकर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, राजनीति विज्ञान

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
प्रदीप कुमार बोरड़, IAS  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/370

दिनांक : 27.8.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयों की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
9. प्राचार्य/ नोडल, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
10. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ. दीपाली भार्गव)  
संयुक्त निदेशक (आयोजना)